संख्या : 979 / XVII-01 / 2010–10(31) / 2009

प्रेषक,

सी.एम.एस. बिष्ट,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग–01 देहरादून, दिनांकः 22 नवम्बर, 2010

विषयः अनुसूचित जनजाति की पुत्रियों की शादी / बीमारी हेतु कम पड़ रही धनराशि की पूर्ति हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 893 दिनांक 12.08.2010 की ओर आपका ध्यान अकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से ***जिला योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति की पुत्रियों की शादी / बीमारी योजनान्तर्गत*** कम पड़ रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के ***अनुदान संख्या 31*** के ***आयोजनागत पक्ष*** में ***रूपये 7,02,000/–(रूपये सात लाख दो हजार मात्र)*** की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. आय–व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल उक्तानुसार स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया किया जाय।
2. उक्त आवंटित धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
3. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययता के दृष्टिगत नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जाएगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जाएगा।
4. धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जाए, जिनके लिए यह स्वीकृति की जा रही हैं। वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय का अनुश्रवण भी सुनिश्चित किया जाए।
5. किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार क्रय प्रक्रिया (स्टोर परचेज रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5

भाग–1 (लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

6. उक्तानुसार अवमुक्त धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। आहरण–वितरण अधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम0–17 पर निर्धारित समयान्तर्गत शासन एवं सम्बन्धित विभागाध्यक्षों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

7. अप्रयुक्त धनराशि को वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुवल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण तथा धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

9. स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय कदापि न किया जाए। बी0 एम0–13 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

10. उक्तानुसार अवमुक्त धनराशि तत्काल सम्बन्धित आहरण–वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर रखना सुनिश्चित किया जाए।

11. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–187 / XXVII(1) / 2010 दिनांक 30 मार्च, 2010 तथा नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या–1391 / 53–रा.यो.आ. / वि.जि.यो. / 2007–08 दिनांक 27 अप्रैल, 2010 में अंकित दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए यथावांछित सूचनाएं निर्धारित समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

12. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–31 के आयोजनागत पक्ष के अंतर्गत लेखाशीर्षक–2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–02–अनुसूचित जातियों का कल्याण–800–अन्य व्यय–17– अनुसूचित जनजातियों की पुत्रियों की शादी/ हेतु सहायता–20–सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता के नामे डाला जाएगा।

13. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 629(P) / XXVII-3 / 2010 दिनांक 29 अक्टूबर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय,

(सी.एम.एस. बिष्ट)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः–979/ XVII-1/2010-10(31)/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव–मा0 समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मण्डलायुक्त, गढवाल मण्डल एवं कुमांऊ मण्डल उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
10. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून।
11. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव।